छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 3435 /26/2014/न्या.प्र./38–2 रायपुर, दिनांक 08/09/2014

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

विषयः– **एन्टी रैगिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Civil Appeal No. 887 of 2009 University of Kerala Vs. Councils, Principals, Colleges, Kerala & Others के संबंध में।**

———00 ———

उपरोक्त विषयांतर्गत आर.पी. सिसोदिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशास पत्र क्रमांक एफ 16–9/2014–यू.5 दिनांक 22.07.2014. मूलतः संलग्न प्रेषित है।

कृपया पत्र में चाहे अनुसार परिपालन कर विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अरूण कुमार चांदे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

क्रमांक 7/6 /201/आउशि/समन्वय/2014 रायपुर दिनांक 27/09/2014

प्रति,

1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़.
प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

विषय :- **एन्टी रैगिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Civil Apeal No.-887 of 2009 University of Kerala Vs Councils, Principals, Colleges, Kerala & Others के संबंध में।**

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक-3935/26/2014/न्या.प्र./38-2 दिनांक 08.09.2014 के साथ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक-एफ-16-9/2014-यू-5 दिनांक 22-07-2014 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया आप अपने एवं आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को उक्त पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /201/आउशि/समन्वय /2014 रायपुर दिनांक /09/2014

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर पत्र क्रमांक-3935/26/2014/न्या.प्र./38-2 दिनांक 08.09.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2630413 फैक्स - 0771-2263412)

क्रमांक 716 /201/आउशि/समन्वय/2014 रायपुर दिनांक 27/09/2014

प्रति,

1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

2- प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

विषय :- एन्टी रैगिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Civil Apeal No.-887 of 2009 University of Kerala Vs Councils Principals, Colleges, Kerala & Others के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के क्रमांक-3935/26/2014/न्या.प्र./38-2 दिनांक 08.09.2014 के साथ भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक-एफ-16-5/2014-यू-5 22-07-2014 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया आप अपने एवं आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को उक्त पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डा. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /201/आउशि/समन्वय /2014 रायपुर दिनांक /09/2014

प्रतिलिपिः-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर पत्र क्रमांक-3935/26/2014/न्या.प्र./38-2 दिनांक 08.09.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

जावक क्र. 847 / दिनांक 7-10-14

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कवर्धा (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
कवर्धा

राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय ... (छ.ग.)
73
8/10/14

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 935 /26/2014/च्या.प्र./38-2 रायपुर, दिनांक 01/09/2014

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

विषयः— एन्टी रैगिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Civil Appeal No. 887 of 2009 University of Kerala Vs. Councils, Principals, Colleges, Kerala & Others के संबंध में।

———00———

उपरोक्त विषयांतर्गत आर.पी. सिसोदिया, जॉइंट सेक्रेटरी, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 16-9/2014-यू.5 दिनांक 22.07.2014 मूलतः संलग्न प्रेषित है।

कृपया पत्र में चाहे अनुसार परिपालन कर विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(अरूण कुमार चांदे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

R.P.Sisodia
Joint Secretary
Tel:011 23382298

No. 2597 / ... /GOI
Date

सूचना का अधिकार

पंजी क्रमांक 26 / मा.प्र. उच्च शिक्षा विभाग दिनांक 06/08/14

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110115

New Delhi, the ... July 2014

D.O.No.F.16-9/2014-U.5

Dear

Kindly refer to my D. O. letter No.16-04/2013-U.5 dated 10[th] April, 2013 regarding compliance in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 8[th] May, 2009 (in Civil Appeal No. ... of 2009) in the matter of University of Kerala Vs. Councils, Principals, Colleges, Kerala and others. Copy of the judgement of the Hon'ble Supreme Court of the India is available on www.courtnic.nic.in/courtnicsc.asp.

2. You would recall that vide letter referred to above, all States and Union Territories had been requested to direct all the Civil authorities at the district level to comply with the judgement of the Hon'ble Supreme Court of the India by way of:-

- participating in anti-ragging committee of educational institutions;
- constituting district level anti-ragging committee to be headed by District Collector/Dy. Commissioner/District Magistrate;
- setting up monitoring cell at the level of the Chancellor of State University;
- keeping vigil on incident of ragging, taking immediate action on receiving distress message from victim of ragging;
- appointing state level committees to examine the problems of alcoholism on the campuses and to suggest immediate de-addiction measures; and
- committee to study the psychological impact of ragging on students and recommend urgent and mandatory measures to be implemented in educational institutions.

3. You would be aware that there has been a sustained awareness campaign against ragging through advertisements. The State Governments and Union Territories may also consider giving publicity to campaign against ragging besides advising educational institutions in the States.

4. It is requested that action taken report may kindly be sent to the Raghavan Committee at the following address;- Shri S. Shankar, Deputy Secretary(HE), Room No. 506 'B' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi. Email:- vjshankars@gmail.com

With regards,

Sh. P. Jay Oommen, IAS.
Chief Secretary.
Govt. of Chhattisgarh.

Yours sincerely,

(R.P. Sisodia)

30 JUL 2014
Secy. High. Edu.

To Chief Secretaries of all State/UT Govts.

(As per list attached)

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

(12)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–कबीरधाम

//ज्ञापन//

क्रमांक/4976/सां.लि./2014 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2014

प्रति,

1. सहायक आयुक्त,
   अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, कबीरधाम
2. जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला–कबीरधाम
3. प्राचार्य, सर्व शासकीय/अर्धशासकीय/निजी महाविद्यालय, – शा. कन्या महाविद्यालय कवर्धा
   जिला–कबीरधाम
4. प्राचार्य, पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई.,
   जिला–कबीरधाम

विशयः– रैंगिग रोकने के संबंध में।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, पुराना मंत्रालय के पास, रायपुर का पत्र क्र.1741/मा.अ.आ./2014 रायपुर, दिनांक 30.06.2014

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक वर्ष 2014–15 प्रारम्भ हो रहा है, शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भिक दिनों में वरिष्ठ छात्रों के द्वारा कनिष्ठ छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार "रैगिंग" के नाम से किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आते है। रैगिंग को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दण्डनीय अपराध बताकर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विश्व जागृति मिशन विरूद्ध केन्द्र सरकार(AIR 2001 Sc2817) के प्रकरण में रैगिंग को रोके जाने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों का शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से पालन करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्राप्त निर्देशानुसार रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 का कड़ाई से पालन कराते हुए तथा रैगिंग रोकथाम समिति का गठन करते हुए, रैगिंग के संबंध में यदि प्रकरण पाये जाते हैं तो त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी,
वास्ते–जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम

पृ.क्रमांक/4977/सां.लि./2014 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2014

प्रतिलिपिः–

1. विधि अधिकारी, छ.ग.राज्य मानव अधिकार आयोग, रायपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कवर्धा/बोड़ला/पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी,
वास्ते–जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम

26
22/7

E:\Yogesh-2011\Yogesh.doc

3169
08.7.14

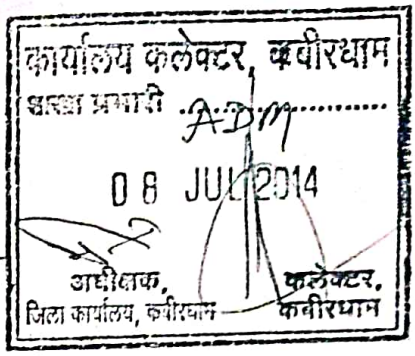

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग
पुराना मंत्रालय के पास, रायपुर

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम
शाखा प्रभारी ADM
08 JUL 2014
अधीक्षक, जिला कार्यालय, कबीरधाम — कलेक्टर, कबीरधाम

क्रमांक. 1741 /मा.अ.आ./2014 रायपुर, दिनांक 30/6/14

प्रति,

कलेक्टर
~~जिला–कबीरधाम~~ (छ. ग.)

विषयः– **रैगिंग रोकने के संबंध में।**

–00–

राज्य की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक वर्ष 2014–15 प्रारम्भ हो रहा है, शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भिक दिनों में वरिष्ठ छात्रों के द्वारा कनिष्ठ छात्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार ''रैगिंग'' के नाम से किये जाने की शिकायते प्राप्त होती रही है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आते है। रैगिंग को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दण्डनीय अपराध बताकर **रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001** पारित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी विश्व जागृति मिशन विरूद्व केन्द्र सरकार (AIR 2001 Sc2814) के प्रकरण में रैगिंग को रोके जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। उक्त दिशा निर्देशों का शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से पालन करवाया जाना आवश्यक है।

रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 में रैगिंग को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से अन्य प्रकार से उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तिव का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी की दोष पूर्ण अवरोध, दोष पूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना रैगिंग के अन्तर्गत आनेवाले कृत्य होगे।

रैगिंग एक गंभीर समस्या है इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। रैगिंग के संबंध में शैक्षणिक संस्थाओं में "प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम" के अन्तर्गत दण्ड के प्रादधान है। शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र–छात्राओं के बीच रैगिंग जैसे कार्यो को बढ़ावा न मिले एवं जूनियर छात्र छात्राओं में रैगिंग का भय व्याप्त न हो, इसके लिये शैक्षणिक संस्था में **"रैगिंग रोकथाम समिति"** का गठन किया जाये तथा रैगिंग के संबंध में यदि प्रकरण पाये जाते है तो त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करते हुये आयोग को सूचित किया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्व जागृति मिशन विरूद्व केन्द्र शासन के प्रकरण में रैगिंग रोकने हेतु मागदर्शी दिशा निर्देशों की प्रति पालनार्थ संलग्न है। उक्त दिशा निर्देशों का पालन कर, पालन प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(जी.एस.वर्मा)
उपसचिव
छ.ग. मानव अधिकार आयोग,
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नवीन अधिनियम

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

क्रमांक 27 सन् 2001*

[दिनांक 17 जनवरी, 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 17 जनवरी, 2002 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "रैगिंग" से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना;

(ख) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

3. रैगिंग का प्रतिषेध— किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

4. दण्ड— यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना— इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

* छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17-1-2002 पृष्ठ 28-28 (1) पर प्रकाशित।

6. अपराधों का विचारण—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचार प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

7. छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता— (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Following guidelines have been laid down by Hon'ble Supreme Court to fight menace of ragging in Educational Institutions.

1. The prospectus, the form for admission and/or any other literature issued to aspirants for admission must clearly mention that ragging is banned in the institution and any one indulging in ragging is likely to be punished appropriately.

2. If there be any legislation governing ragging or any, provisions in the Statute/Ordinances they should be brought to the notice of the students/patents seeking admissions.

3. Form for admission/enrolment shall have a printed undertaking to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the institution's approach towards ragging and the punishments to which he or she shall be liable if found guilty of ragging. A similar undertaking shall be obtained from students already admitted and their parents.

4. A printed leaflet detailing when and to whom one has to turn for information, help and guidance for various purposes, keeping in view the needs of new entrants in the institution, alongwith the addressee and telephone numbers of such persons, should be given to freshers at the time of admissions so that the freshers need not look up to the seniors for help in such matters and feel indebted to or obliged by them.

5. The management, the principal, the teaching staff should interact with freshers and take them in confidence by apprising them of their rights as well as obligation to fight against ragging and generate confidence in their mind.

6. Institution to constitute a proctorial committee to keep a continuous watch and vigil over ragging and promptly deal with the incidents of ragging.

7. All vulnerable location shall be identified and specially watched.

8. Failure to prevent ragging shall be construed as an act of negligence on part of management, hostels wardens / superintendents.

9. The hostels/accommodations where freshers are accommodated shall be carefully guarded, and entry of seniors/outsiders to be regulated.

10. If individuals committing or abetting ragging are not identified collective punishment could be resorted to.

11. Migration certificate to contain entry indicating whether the student had participated in and in particular was punished for ragging.

12. Stoppage of financial assistance by UGC/funding agency to institutions falling to curb ragging.

13. Institution to face disaffiliation.

14. Institutions / Universities to hold activities where seniors and freshers can interact and develop friendly relationship.